भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *99

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

निम्न तल वाली बसों हेतु दिशानिर्देश

*99. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को केवल निम्न तल वाली बसों के लिए निविदा जारी करने हेतु दिशानिर्देश अथवा अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सुगम्य बस स्टैंडों की संख्या के संबंध में कोई सूचना/आंकड़े रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त बस स्टैंडों का ब्यौरा क्या है और इन स्टैंडों पर प्रदान किए गए स्थान/सुविधाओं की प्रकृति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

'निम्न तल वाली बसों हेतु दिशानिर्देश' के संबंध में श्री कार्ती पी. चिदम्बरम द्वारा पूछे गए दिनांक 08.02.2024 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 99 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) जी नहीं । हालांकि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगस्त, 2022 में "बस टर्मिनलों और बस स्टॉप के लिए पहुंच दिशानिर्देश" तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में बस अडों/बस टर्मिनलों और बस स्टॉप्स के क्षेत्रों की आयोजना और डिजाइन संबंधी पहलुओं को शामिल किया गया है ताकि ऐसे क्षेत्रों को सभी के लिए सुगम्य बनाया जा सके। उक्त दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि सुलभ बसें निम्न तल वाली होनी चाहिए।

(ग) और (घ) सड़क द्वारा परिवहन राज्य का विषय है और राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं।

*****